न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 150 / 2022

1 रामसिंह पुत्र श्री बंशीधर जाति कुमावत उम्र 40 साल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 75 साल जाति ब्राह्मण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सहीदा पत्नी श्री रोशन उम्र 34 साल जाति मुसलमान निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 शिवप्रसाद पुत्र श्री रामजीलाल उम्र 68 साल जाति ब्राह्मण निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अबाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 49 / 2020 सत्यनारायण बनाम रामसिंह में उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध

उपस्थिति :

1. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 16.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 49/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खाता संख्या 550 के खसरा नम्बर 339, 341, 348, 1100 वाके ग्राम जसरापुर तहसील खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदक/वादी कृषि भूमि खसरा नम्बर 341/3 का रिकार्डेड़ खातेदार है। जबकि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में भूमि खसरा नम्बर 341/3 के अलावा खसरा नम्बर 1100 की कृषि भूमि में भी अपीलान्ट को पाबन्द किया है। खसरा नम्बर 1100 गत खसरा नम्बर है। जो वर्तमान में मौजुद नहीं है। जिसका अधिकांश भाग का सपरिवर्तन हो चुका है। अपीलान्ट ने अपनी सम्पूर्ण भूमि 1.48 हैक्टेयर को आवासीय भूमि में वाणित्यक उपयोग के लिए सपंरिवर्तन करवा ली है। जिसमें विवादित तिबारा की भूमि भी शामिल है। आवासीय, वाणिज्यक भूमि का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नहीं है। रेस्पोडेन्ट/वादी ने वाद बाबत घोषणात्मक, खाता विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। जिसकी धारा 4 में वादी ने यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि का वाद में अप्रार्थी संख्या 2 के 1/2 हिस्से का खाता विभाजन निर्णय दिनांक 10.12.2012 को करते समय प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 341 के विभाजन कर नये खसरा नम्बर 2656/341 रकबा 0.01 हैक्टेयर विभाजन कर दिया गया। वादी ने उल्लेख किाय है कि उसे भूमि विभाजन कर उसे खसरा नम्बर 1100 में से भूमि नहीं दी गई है। केवल खसरा नम्बर 341 में 0.01 हैक्टेयर भूमि दी गई है जबकि उक्त खाता विभाजन वादी की सहमति से किया गया है। जिस बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अपीलान्ट ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा की धारा 4 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि खाता विभाजन न्यायालय के द्वारा हुआ है। वादी को इसका कोई एतराज होता तो उस समय एतराज/सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता था परन्तु आज तक कोई अपील नहीं की गई है। इस कारण इसी बिन्दु को तय करवाने हेतु वादी दुबारा वाद लाने का अधिकारी नहीं है। वादी का दावा रेसज्यूडिकेटा के बाधित होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार जब वादी का दावा ही मेन्टेनेबल नहीं है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में पूर्णतया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 339, 341, 348, 1100 कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर में सत्यनारायण शिवप्रसाद पि रामजीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था, उक्त विक्रय पत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह को अपने 1/2 हिस्से अर्थात 1.485 हैक्टेयर भूमि में से तिबारा व कुआ का रकबा छोड़कर शेष 1.475 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया था। उक्त बेचान के बाद शेष रही 0.01 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 का एक कुआ है तथा एक तिबारा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि में 1.475 है. के बाद शेष बची 0.01 हैक्टेयर भूमि में एक कुआ व तिबारा का रकबा 0.01 हैक्टेयर छोड़कर ही 1.475 हैक्टेयर भमि का बेचान किया गया था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार खेतड़ी से जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53/2/111 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन करवा लिया है। खाता विभाजन के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 341/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 339, 341/2, 1100/3 कुल किता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर आयी है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय से अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि 341/3 रकबा 0.01 हैक्टेयर तिबारा व तिबारा की भूमि तक ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)